

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।
नगर पंचायत, भोगांव, जनपद-मैनपुरी,
नगर पंचायत, हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, नगर पंचायत, भोगांव, जनपद-मैनपुरी एवं नगर पंचायत, हरिहरपुर (संतकबीरनगर) में स्थित पार्कों का निर्माण एवं विकास हेतु **रु. 325.46 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किशत के रूप में **रु0 160.00 लाख (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. पार्क के लिए चाहर-दीवारी तथा यथा सम्भरव पार्किंग की व्य वस्थाल भी सुनिश्चित की जायेगी।
4. पार्क में महिला एवं पुरुष प्रसाधन अलग-अलग होंगे।
5. पार्क में घास एवं पर्याप्त हरियाली के लिए छायादार पेड पौधे तथा फूल इत्यादि लगाये जायेगें।
6. शुद्ध पेयजल एवं पेड पौधों की सिचाई हेतु समर्सेबिल पम्पर लगाये जायेगें।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
 13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 14. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
 15. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
 16. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920800 पार्कों का निर्माण एवं विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
13.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-253/2024/413/नौ-5-2024/001-Computer No 1772402-Park, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
- 9-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से
13.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-253/2024/413/नौ-5-2024/001-Computer No 1772402-Park दिनांक 13 जनवरी, 2024
(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद/निकाय का नाम	कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1.	नगर पालिका परिषद, मऊनाथभंजन	वार्ड सं० 11 ख्वाजाजहांपुर में सेल्फी प्वाइंट के आस-पास पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	61.55	30.00
2.	नगर पंचायत, भोगांव, जनपद-मैनपुरी	कुरावली रोड पर क्रासिंग के आगे (बीलों रोड) भाजपा कार्यालय के पास खाली ऊसर जमीन पर पार्क बनाये जाने का कार्य।	104.98	50.00
3.	नगर पंचायत हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर	पी०डब्ल्यू०डी० मार्ग के किनारे स्थित मो० रंगपालनगर में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	158.93	80.00
योग:-			325.46	160.00

₹ 160.00 लाख (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)


13.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/01/2024

प्रेषण संख्या:- 253
आवंटन आदेश संख्या:- 001-253-2024-413-9-5-2024-001-CN-1772402-Park
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
08 - पार्को का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मैनपुरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
3	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 8000000	8000000 8000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	16000000 16000000	16000000 16000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ साठ लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव